

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक.एफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2024/4266

दिनांक: 01.07.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत) राजस्थान।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव हेतु तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों के निरन्तर अद्यतन हेतु।

महोदय,

आयोग के पत्र क्रमांक 5228 दिनांक 31.12.2025 के द्वारा राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियां अर्हता तिथि 01.01.2026 के संदर्भ में तैयार किए जाने हेतु प्रेषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 25.02.2026 को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन हो चुका है।

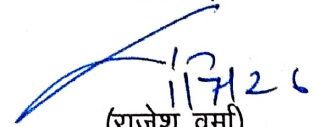
राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20 के अनुसार निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् निरन्तर अद्यतन (Continuous updation) की प्रक्रिया में नाम जोड़ने, हटाने, अंतरण करने या शुद्ध करने की कार्यवाही नियम 21-क में वर्णित प्रावधानानुसार लोक नोटिस जारी होने के पश्चात् जैसी भी स्थिति हो, चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक नहीं की जाएगी, ना ही इस संबंध में कोई निर्देश दिये जायेंगे। नियम 20 के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वविवेक से या प्रार्थना पत्र के आधार पर नाम जोड़ने/हटाने/अंतरण करने की कार्यवाही एक विहित प्रक्रिया के अधीन की जा सकती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आयोग के पत्रांक 6768 दिनांक 15.10.2015 (प्रति संलग्न) के द्वारा यह निर्देश प्रदान किए हुए हैं कि निर्वाचन की लोक सूचना जारी किए जाने की तिथि से 10 दिवस पूर्व तक प्राप्त आवेदनों को ही निस्तारित किया जाए। इस प्रकार जोड़े गये, हटाये गये या शुद्ध किये गये नामों की सूची पूरक-2 के नाम से बनायी जायेगी।

निरन्तर अद्यतन करने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त आवेदनों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निस्तारित करने के पश्चात् उन्हें ई-सूची पर प्रविष्ट कर पूरक-2 तैयार की जाएगी। ई-सूची सॉफ्टवेयर पर पीडीएफ फ़ैक्ट्री में पूर्व में उपलब्ध विकल्पों के अतिरिक्त दो विकल्प (Supplementary-2 एवं Final With Supplementary-2) और उपलब्ध कराए हैं। Supplementary-2 के अन्तर्गत सिर्फ निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान जोड़े, हटाए एवं संशोधित किए गए नामों की सूची उपलब्ध होगी, जबकि Final With Supplementary-2 में अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली के साथ पूरक-2 भी उपलब्ध होगी। निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियां तैयार करने हेतु Final With Supplementary-2 में उपलब्ध निर्वाचक नामावली का ही उपयोग किया जाए।

अतः पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियों को निर्वाचन हेतु लोक नोटिस जारी होने तक निरन्तर अद्यतन रखने के लिए उक्तानुसार समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को समुचित निर्देश प्रदान करने का श्रम करें। जिला निर्वाचन अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे निर्वाचक नामावली के निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य की साप्ताहिक समीक्षा करें एवं निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया का स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करवाकर आमजन की जानकारी हेतु पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2024/4201-05
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 01.07.2026

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रबंधक (आई.टी.), मैसर्स REIL, जयपुर।


(रुचि अग्रवाल)
उप विधि परामर्शी

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

समाधि: secrajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एक 7(1)(3)पंचाय/राजिआ/2014-15/6768

जयपुर, दिनांक: 15/10/15

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् निरन्तर अद्यतन रखे जाने हेतु प्राप्त आवेदनों के संबंध में।

प्रति,

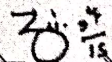
पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 11 से 20 एवं 21ए में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत तैयार की जाती है। उक्त आदेशों के अधीन तैयार निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् निरन्तर अद्यतन रखे जाने हेतु नियम 20 (2) के अन्तर्गत निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने एवं संशोधित किए जाने तथा नियम 20 (1) के अन्तर्गत नाम हटाने के प्रावधान उपलब्ध है। नियम 20 (3) में उपनियम (1) एवं (2) के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्तियों की सूची कोई आदेश करने के पूर्व 3 पूर्ण दिवस (3 Clear days) तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित रखा जाना आवश्यक है। नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नाम पर यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत होता है तो उसे भी निस्तारित करना होता है। इसी प्रकार नाम हटाए जाने के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दूसरे पक्षकार जिसके नाम पर आपत्ति है, को सुनवाई का समय दिए जाने की विधिक बाध्यता है। उक्तानुसार विधिक बाध्यताओं की पालना हेतु आवेदन प्राप्ति के पश्चात् उनके निस्तारण हेतु युक्तियुक्त (reasonable) समय की आवश्यकता रहती है।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 21ए में यह अंकित है कि नियम 23 एवं 58 के तहत निर्वाचन की लोक सूचना जारी होने के पश्चात् से निर्वाचन समाप्ति तक निर्वाचक नामावली में नाम जोड़े, संशोधित एवं हटाये नहीं जायेंगे। किन्तु इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि किस तिथि तक प्राप्त किए गए आवेदनों को निस्तारित किया जाए, क्योंकि निर्वाचन की लोक सूचना जारी होने की तिथि तक आवेदन प्राप्त होते रहते हैं, अतः ऐसे प्राप्त सभी आवेदनों को विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए निस्तारित किया जाना संभव नहीं है।

निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् निरन्तर अद्यतन करने की प्रक्रिया में नाम जोड़ने/संशोधन/हटाने हेतु आवेदन को कतिपय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा लेने से इन्कार करने की सूचना भी आयोग को प्राप्त होती है, जिसे आयोग ने गंभीरता से लिया है। अतः आवेदन प्राप्त करने एवं प्राप्त आवेदनों के विधिवत निस्तारण के लिए प्रशासनिक कारणों (administrative reasons) से आयोग यह निर्देश देता है कि :-

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने/संशोधित करने/हटाने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों को प्राप्त करने से किसी भी दशा में इन्कार नहीं करेंगे।
2. प्राप्त आवेदनों के निस्तारण में विधिक अपेक्षाओं की पालना सुनिश्चित करने में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु उक्त समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आयोग यह निर्देश प्रदान करता है कि राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20 एवं 21ए के अन्तर्गत निर्वाचन की लोक सूचना जारी किए जाने की तिथि से 10 दिवस पूर्व तक नाम जोड़ने/संशोधित करने/हटाने के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों को ही निर्वाचन की लोक सूचना जारी किए जाने की तिथि तक निस्तारित किया जावे।

आज्ञा से,


(अशोक कुमार जैन)
सचिव